प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सैंतीस'

प्रश्न सं. [क्र. 4911]

[8/3/2017]

मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक–एफ–3–3/2013/25–2/11 भोपाल, दिनांक 04/1/2017

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– 12 वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधान अन्तर्गत वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य अन्य जिला मुख्यालय में स्थानान्तरण।

––––00––––

12वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत योजनाकाल में 100 कन्या शिक्षा परिसर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु 20 की स्वीकृति प्रदान की गई है । यह स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 28.8.2012 द्वारा कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना एवं पद निर्माण का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में स्वीकृत कन्या शिक्षा परिसरों का जिला अन्तर्गत आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य अन्य जिला मुख्यालय पर समायोजन किया जाता है। उक्त कन्या शिक्षा परिसर नवीन शिक्षा सत्र 2017–18 में स्थानांतरित कर जिला मुख्यालय में 490 सीट के संचालित किए जायेंगे।

आदिवासी जनसंख्या 01 लाख से अधिक वाले ऐसे जिले, जिनमें जिला मुख्यालय में आदिवासी बालिकाओं के लिए आवासीय कन्या शिक्षा परिसर उपलब्ध नहीं हैं, उन जिलों में भी आदिवासी बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वर्ष 2017–18 में सुरक्षित उपलब्ध अथवा अन्य जिले में संचालित कन्या शिक्षा परिसर को प्रशासनिक निर्णय लेते हुए स्थानांतरित कर जिला मुख्यालय में कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किये जाते हैं :–

क.	पूर्व से स्वीकृत कन्या शिक्षा परिसर को स्थानांतरित कर अन्य जिला मुख्यालय में स्थान परिवर्तन			स्थान परिवर्तन का औचित्य	सीट संख्या
	कन्या शिक्षा परि. जिसे स्थानांतरित किया जा रहा है	स्थानांतरित किया जाने वाला जिला मुख्यालय	स्थानांतरित जिले की आदिवासी जनसंख्या		
1	क.शि.प. सेंधवा जिला बड़वानी (वर्तमान में सुरक्षित)	सतना	319275	आदेश क. एफ–3–9/2012/ 2–25 दिनांक 13.9.2012 द्वारा स्वीकृत कन्या शिक्षा परिसर सेंधवा का पीएससी बैठक दि. 10.07.15 में समर्पण न किये जाने से अन्य स्थान पर संचालन।	490
2	क.शि.प. भाबरा जिला अलीराजपुर (वर्तमान में सुरक्षित)	देवास	272701	आदेश क. एफ–3–9/2012/ 2–25 दिनांक 13.9.2012 द्वारा स्वीकृत कन्या शिक्षा परिसर भाबरा का पीएससी बैठक दि. 10.07.15 में समर्पण न किये जाने से अन्य स्थान पर संचालन।	490
3	क.शि.प. निसरपुर जिला धार (एफ–3–1/2014/25–2/ दि. 23.6.2014)	शिवपुरी	227802	धार में जिला मुख्यालय सहित 10 क.शि.प. संचालित हैं। शिवपुरी में आदिवासी जनसंख्या /बालिकाओं को जिला मुख्यालय पर कोई संस्था उपलब्ध नहीं है।	490
4	क.शि.प. भगवानपुरा जिला खरगौन (एफ-3–9/2012/2–25/दि. 13.9.2012)	रायसेन	205006	खरगोन मे जिला मुख्यालय सहित 06 क.शि.प. संचालित है। रायसेन में आदिवासी जनसंख्या/बालिकाओं को जिला मुख्यालय पर कोई संस्था उपलब्ध नहीं है।	490

11 JAN 2017

उपरोक्तानुसार कन्या शिक्षा परिसरों में स्वीकृत सीट्स में 80 प्रतिशत सीट अनुसूचित जनजाति, 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 05 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिया जावेगा।

उपरोक्त कमांक 01 से 04 के कन्या शिक्षा परिसरों के उल्लेखित स्वीकृति आदेश कमांक/दिनांक द्वारा स्वीकृत पद निर्माण नवीन स्थान परिवर्तित कन्या शिक्षा परिसर हेतु यथावत स्वीकृत रहेंगे। उपरोक्त नवीन स्थान पर परिवर्तित कन्या शिक्षा परिसर वार्षिक पंचवर्षीय योजना के प्रावधान अन्तर्गत ही किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 04/1/2017

पृ.क्रमांक– एफ–3–3/2013/25–2/12
प्रतिलिपि,

1. निज सचिव मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्री जी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।
4. आयुक्त कोष एवं लेखा संचालनालय पर्यावास भवन भोपाल।
5. वित्तीय सलाहकार, म.प्र.शा., आ.जा.क.विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला सीहोर, हरदा, रतलाम, बुरहानपुर, श्योपुर, खण्डवा, सतना, देवास, शिवपुरी, रायसेन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, खरगोन, म.प्र.।
7. संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास भोपाल, नर्मदापुरम, इन्दौर, उज्जैन, चम्बल, रीवा, ग्वालियर म.प्र.।
8. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला सीहोर, हरदा, रतलाम, बुरहानपुर, श्योपुर, खण्डवा, सतना, देवास, शिवपुरी, रायसेन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, खरगोन, म.प्र.।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला सीहोर, हरदा, रतलाम, बुरहानपुर, श्योपुर, खण्डवा, सतना, देवास, शिवपुरी, रायसेन, बडवानी, अलीराजपुर, धार, खरगोन, म.प्र.।
10. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा, आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ की वे उक्त आदेश को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग